

प्रेस नोट दिनांक- 24.12.2024 जनपद प्रतापगढ़

थाना कोहडौर जनपद प्रतापगढ़

बीट आरक्षियों के सर्तकता से 02 गैंगस्टर अभियुक्त गिरफ्तार

थाना कोतवाली देहात के आरक्षी राहुल सिंह व आरक्षी मनीष पाण्डेय ने गैंगस्टर अभियुक्तों पर कसा शिकजा

आरक्षी राहुल सिंह व आरक्षी मनीष पाण्डेय ने साये की तरह विछाए रखी अपनी पैनी नजर

एसपी द्वारा अपराधी की पतारसी सुरागरसी के लिये थाना कोतवाली देहात के आरक्षी राहुल सिंह व आरक्षी मनीष पाण्डेय को प्रशस्ति- पत्र, नगद पुरस्कार तथा चरित्र पंजीका में उत्तम प्रविष्टि हेतु दिये गये निर्देश

थाना कोतवाली देहात के अतंगत अभियुक्तों को थानाक्षेत्र कोतवाली देहात के सुखपाल नगर मोड़ के पास से किया गया गिरफ्तार

गिरफ्तार गैंगस्टर अभियुक्तगण चोरी, आम्स एक्ट, गैंगस्टर एक्ट जैसे गम्भीर उपराध में संलिप्त हैं

जनपद में अपराध नियंत्रण/संगीन धाराओं में संलिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु बीट पुलिसिंग प्रणाली को मजबूत किया जा रहा है।

इसी क्रम में थाना कोतवाली देहात के बहादुर आरक्षी राहुल सिंह व आरक्षी मनीष पाण्डेय के सहयोग से आज दिनांक 24.12.2024 को थाना कोहडौर पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 686/24 धारा 2/3 उ0प्र0 गिरोहबन्द समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1986 थाना कोहडौर में वांछित 02 अभियुक्तगण 1. अनिल कुमार सिंह पुत्र छोटे लाल सिंह निवासी ग्राम पुरैली थाना कोतवाली देहात, जनपद प्रतापगढ़ उम्र -39 वर्ष 2. विजय प्रताप सिंह उर्फ हनुमान पुत्र सुरेश बहादुर सिंह निवासी ग्राम विक्रमपुर थाना कोतवाली देहात, जनपद प्रतापगढ़ उम्र 40 वर्ष को थानाक्षेत्र कोतवाली देहात के सुखपाल नगर मोड़ के पास से गिरफ्तार किया गया।

गैंगस्टर एक्ट के गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण-

- 1- अनिल कुमार सिंह पुत्र छोटे लाल सिंह निवासी ग्राम पुरैली थाना कोतवाली देहात, जनपद प्रतापगढ़ उम्र - 39 वर्ष
- 2- विजय प्रताप सिंह उर्फ हनुमान पुत्र सुरेश बहादुर सिंह निवासी ग्राम विक्रमपुर थाना कोतवाली देहात, जनपद प्रतापगढ़ उम्र 40 वर्ष

अनिल कुमार सिंह पुत्र छोटे लाल सिंह निवासी ग्राम पुरैली थाना कोतवाली देहात, जनपद प्रतापगढ़ का आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 474/19 धारा- 379, 411 भादवि थाना कोतवाली नगर जनपद प्रतापगढ़
2. मु0अ0सं0 475/19 धारा- 379, 411 भादवि थाना कोतवाली नगर जनपद प्रतापगढ़
3. मु0अ0सं0 477/19 धारा- 411, 413 भादवि थाना कोतवाली नगर जनपद प्रतापगढ़
4. मु0अ0सं0 478/19 धारा- 3/25 आम्स एक्ट थाना कोतवाली नगर जनपद प्रतापगढ़
5. मु0अ0सं0 227/22 धारा- 379, 411, 413 भादवि थाना कोतवाली नगर जनपद प्रतापगढ़
6. मु0अ0सं0 228/22 धारा- 379, 411, 413 भादवि थाना कोतवाली नगर जनपद प्रतापगढ़
7. मु0अ0सं0 229/22 धारा- 414, 411, 413 भादवि थाना कोतवाली नगर जनपद प्रतापगढ़
8. मु0अ0सं0 786/22 धारा- 379, 411, भादवि थाना कोतवाली नगर जनपद प्रतापगढ़
9. मु0अ0सं0 288/10 धारा- 41, 109 सीआरपीसी थाना कन्धई जनपद प्रतापगढ़
10. मु0अ0सं0 686/24 धारा 2/3 उ0प्र0 गिरोहबन्द समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम थाना कोहंडौर जनपद प्रतापगढ़।

विजय प्रताप सिंह उर्फ हनुमान पुत्र सुरेश बहादुर सिंह निवासी ग्राम विक्रमपुर थाना कोतवाली देहात जनपद प्रतापगढ़ का आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0- 65/20 धारा 135 वि0 अधि0 थाना कोतवाली नगर जनपद प्रतापगढ़
2. मु0अ0सं0 227/22 धारा- 379, 411, 413 भादवि थाना कोतवाली नगर जनपद प्रतापगढ़
3. मु0अ0सं0 228/22 धारा- 379, 411, 413 भादवि थाना कोतवाली नगर जनपद प्रतापगढ़
4. मु0अ0सं0 229/22 धारा- 414, 411, 413 भादवि थाना कोतवाली नगर जनपद प्रतापगढ़
5. मु0अ0सं0 686/24 धारा 2/3 उ0प्र0 गिरोहबन्द समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम थाना कोहंडौर जनपद प्रतापगढ़।

थाना संग्रामगढ़ जनपद प्रतापगढ़

प्रतापगढ़ पुलिस द्वारा अपराध व अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही जारी दुष्कर्म व धमकी देने के प्रकरण से संबंधित 01 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार थाना संग्रामगढ़ पुलिस टीम द्वारा अभियुक्त को थानाक्षेत्र के गोदाही चौराहे के पास से गिरफ्तार किया गया ।

घटना का संक्षिप्त का विवरण-

दिनांक 22.10.2024 को वादिनी की प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना संग्रामगढ़ में धारा 376डी, 506,376(2) भादवि का अभियोग 02 नामजद के विरुद्ध पंजीकृत किया गया था ।

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ डॉ० अनिल कुमार द्वारा अभियुक्त वांछित अपराधी की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अंतर्गत व अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री संजय राय एवं क्षेत्राधिकारी लालगंज श्री रामसूरत सोनकर के कुशल पर्यवेक्षण में थाना प्रभारी संग्रामगढ़ श्री सत्येन्द्र सिंह भदौरिया के नेतृत्व में उ०नि० श्री अमित सिंह मय हमराह का० केवल साहू द्वारा अभियुक्त विश्वदीप उर्फ बबलू पाण्डेय पुत्र माताफेर पाण्डेय निवासी ग्राम भद्विव कुसुवापुर थाना संग्रामगढ़ जनपद प्रतापगढ़ को दिनांक 24.12.2024 को थानाक्षेत्र संग्रामगढ़ के गोदाही चौराहे के पास से गिरफ्तार किया गया।

अभियुक्त विश्वदीप उर्फ बबलू पाण्डेय पुत्र माताफेर पाण्डेय को धारा 376डी, 506,376(2) भादवि में गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष अग्रिम कार्यवाही हेतु पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

01. अभियुक्त विश्वदीप उर्फ बबलू पाण्डेय पुत्र माताफेर पाण्डेय निवासी ग्राम भद्विव कुसुवापुर थाना संग्रामगढ़ जनपद प्रतापगढ़।

गिरफ्तार करने वाली टीम:-

उ०नि० श्री अमित सिंह मय हमराह का० केवल साहू थाना संग्रामगढ़ जनपद प्रतापगढ़।

थाना- मान्धाता, जनपद प्रतापगढ़

बीट आरक्षी के सतर्कता से 01 गैंगस्टर गिरफ्तार

थाना मान्धाता के आरक्षी हरिपाल ने गैंगस्टर अभियुक्तों पर कसा शिकंजा

आरक्षी हरिपाल ने साये की तरह बिछाए रखी अपनी पैनी नजर

एसपी द्वारा अपराधी की पतारसी सुरागरसी के लिये आरक्षी हरिपाल को दिया जाएगा प्रशस्ति- पत्र , नगद पुरस्कार तथा चरित्र पंजीका में उत्तम प्रविष्टि हेतु संबंधित को दिये गये निर्देश

सुबरनी तिराहे के पास से गैंगस्टर एक्ट के 01 अभियुक्त गिरफ्तार

गैंगस्टर मो० मुस्लिम पर लूट, डकैती, हत्या का प्रयास, गैंगस्टर व आर्म्स एक्ट के अभियोग थाना देल्हूपुर, प्रतापगढ़ में दर्ज हैं।

जनपद में अपराध नियंत्रण/ संगीन धाराओं में संलिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु बीट पुलिसिंग प्रणाली को मजबूत किया जा रहा है।

इसी क्रम में थाना मान्धाता के बहादुर आरक्षी हरिपाल के सहयोग से दिनांक 24-12-2024 को थाना मान्धाता पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 150/2024 धारा 2/3 उ0प्र0 गिरोहबन्द समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1986 में वांछित अभियुक्त मो0 मुस्लिम पुत्र मो0 सलीम उर्फ वजहुल थाना मान्धाता जनपद प्रतापगढ़ को थाना मान्धाता क्षेत्रान्तर्गत सुबरनी तिराहे के पास से गिरफ्तार किया गया।

गैंगस्टर एक्ट के गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

1- मो0 मुस्लिम पुत्र मो0 सलीम उर्फ वजहुल थाना मान्धाता जनपद प्रतापगढ़।

आपराधिक इतिहास-

मो0 मुस्लिम पुत्र मो0 सलीम उर्फ वजहुल थाना मान्धाता जनपद प्रतापगढ़ का आपराधिक इतिहास-

01. मु0अ0सं0 76/2024 धारा 394,506 भादवि थाना देल्हूपुर, जनपद प्रतापगढ़।

02. मु0अ0सं0 80/2024 धारा 307 भादवि थाना देल्हूपुर, जनपद प्रतापगढ़।

03. मु0अ0सं0 81/2024 धारा 307, 399, 402, 411, 420, 465 भादवि व 3/25 आर्म्स एक्ट थाना देल्हूपुर, जनपद प्रतापगढ़।

04. मु0अ0सं0 69/2024 धारा 341, 392, 411 भादवि थाना देल्हूपुर, जनपद प्रतापगढ़।

05. मु0अ0सं0 150/2024 धारा 2/3 उ0प्र0 उ0प्र0 गिरोहबन्द समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम थाना देल्हूपुर जनपद प्रतापगढ़।

थाना हथिगवां जनपद प्रतापगढ़

प्रतापगढ़ पुलिस द्वारा अपराध व अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही जारी

थाना हथिगवां पुलिस द्वारा चोरी के अभियोग से संबंधित वांछित 01 अभियुक्त गिरफ्तार

थाना हथिगवां पुलिस द्वारा अभियुक्त को थानाक्षेत्र के बटौवा नहर पुलिया के पास से गिरफ्तार किया गया।

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ डॉ0 अनिल कुमार द्वारा अपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक (पश्चिमी) श्री संजय राय व क्षेत्राधिकारी कुण्डा श्री अजीत सिंह के पर्यवेक्षण व थाना प्रभारी हथिगवां नन्दलाल के नेतृत्व में उ0नि0 राधेश्याम सिंह मय हमराह उ0नि0 बनवारी लाल पाल का0 गौरव सिंह द्वारा दिनांक 24.12.2024 को देखभाल क्षेत्र/ संदिग्ध व्यक्तियों/वाहनों की चेकिंग के दौरान, मुखबिर की सूचना पर मु0अ0सं0 156/17 धारा 457/380 भादवि थाना हथिगवां जनपद प्रतापगढ़ से संबंधित वांछित 01 अभियुक्त दयाराम पटेल पुत्र श्रीनाथ उर्फ श्रीराम निवासी पूरे

बकशी थाना हथिगवां जनपद प्रतापगढ़ को थाना हथिगवां क्षेत्रान्तर्गत बटौवा नहर पुलिया के पास से गिरफ्तार किया गया ।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

दयाराम पटेल पुत्र श्रीनाथ उर्फ श्रीराम निवासी पूरे बकशी थाना हथिगवां जनपद प्रतापगढ़ ।

आपराधिक इतिहास-

दयाराम पटेल पुत्र श्रीनाथ उर्फ श्रीराम निवासी पूरे बकशी थाना हथिगवां जनपद प्रतापगढ़

- 1- मु0अ0सं0 372/10 धारा 147/323/324/452 भादवि जनपद हथिगवाँ प्रतापगढ़
2. मु0अ0सं0 156/17 धारा 457/380 भादवि हथिगवाँ जनपद प्रतापगढ़
3. मु0अ0सं0 170/17 धारा 41/411/412/413/414 भादवि जनपद हथिगवां प्रतापगढ़
4. मु0अ0सं0 787/17 धारा 41/411/412/414 भादवि कोतवाली फैजाबाद जनपद फैजाबाद (अयोध्या)

गिरफ्तार करने वाली टीम:-

उ0नि0 राधेश्याम सिंह मय हमराह उ0नि0 बनवारी लाल पाल, का0 गौरव थाना हथिगवां, जनपद प्रतापगढ़।